Attachment 21.

प्रपत्र–1

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग (11.125किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 1634 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सर्म्पक मार्ग से जोंडने का कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासन के पत्रांक संख्या : 2491 / पी0 3–14 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 10 दिनांक 18 मार्च 2010 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनदेश की फोटोप्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट जुन्डी सुराडी निडिल, खायकोट मल्ला, खायकोट तल्ला की आबादी 1202 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नही जुडी है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सूविधा न होने से काश्तकारों को अपने उपज का उचित मूल्य नही मिल पाता हैं। साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नही हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा हैं। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जंहा युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगें, वही सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वनभूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमिशून्य हे0, सिविल सोयम वन भूमि 4.340 हे0, नाप भूमि 4.4325 हे0 प्रभावित हो रही है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन स्वरूप भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

संमरेखण नं0 1:– जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का समरेंखण स्थल जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चमदेवल मोटर मार्ग के कि0मी 3 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है इस समरेंखण में 8 हेयर पिन बैंड प्रस्तावित है। इस पूरे समरेंखण में 0 मेजर ब्रिज है। इस समरेंखण में अधिकतर नापभूमि के अतिरिक्त बीच–बीच में सिविल सोयम भूमि आती है, इस समरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष कम प्रभावित होते है तकनिकी दृष्टि एवं मानको के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। एवं अधिक से अधिक आबादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई 11.125 किमी0 आती है। इस समरेंखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

समरेखण नं0 2:– जो हरा रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार यह समरेंखण स्थल जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चमदेवल मोटर मार्ग के कि0मी 3 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है। इस समरेंखण की लम्बाई 13.425 किमी0 आती है। इस पूरे समरेंखण में 0 मेजर ब्रिज हैं । समरेंखण से 12 हेयर पिन बैंड पड़ते हैं। समरेखण का अधिकतम भाग हार्ड रोक में होने के कारण यह समरेंखण तकनिकी दृष्टि से उचित नही पाया गया है। इस समरेंखण में मोटर मार्ग का निर्माण करने से बांज व चीड़ के वृक्ष अधिक प्रभावित होते है। तकनिकी दृष्टि एवं मानको के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है, एवं अधिक से अधिक आबादी लाभान्वित नहीं होती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेंखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी , पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयूक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 11.125 किमी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार 7 मी0 चौडाई में आने वाली सिविल सोयम 4.340 हे0 प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत नया प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0एम0जी0एस0वाई0	पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड चम्पावत	सिंचाई खण्ड चम्पावत	सिंचाई खण्ड चम्पावत